तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
4-8-23	पत्रावली आज पेश हुई । प्रार्थीनी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल दिनांक 08.12.2022 को प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नही हुए। लम्बे समय से अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध दिनांक 27.01.2023 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीनी वकील की बहस विस्तार पूर्वक सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विप्रार्थीगण को प्रार्थीनी के कब्जाकाश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करने बाबत् पाबन्द हेतु निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया। प्रार्थीनी का मूल वादी संख्या 82/2022 अनवान रेखादेवी बनाम राणाराम व अन्य घोषणा का वाद न्यायालय में विचाराधीन है। वाद के गुणावगुण निर्णयन के लिए अन्तरिम निषेधाज्ञा मूल वाद में वादगस्त आराजी की सुरक्षा करना उचित एवं विधि संगत मानते है। अतः वादग्रस्त आराजी ग्राम मेगवालों की ढाणी पटवार मण्डल राणासर कला के खसरा नम्बर 434/2 रकबा 2.6952 हैक्टेयर वादग्रस्त आराजी के 1/4 भाग की उभयपक्षकारान को ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी में राजस्व रेकर्ड में मूल वाद निस्तारण तक किसी प्रकार का परिर्वतन नही करे। आदेश आज खुले न्यायालय में सुनवाया ... पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:42:26 IST
Reason: SelfAttested